

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 9-6-14

अधि.सं.-01/स्था.(चालू प्रभार)-10-01/2014-5897/ दिनांक 07.06.2014 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित सहायक अभियंता(असैनिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री कामेश्वर झा जे 7870/गोड्डा/15.05.63	सहायक अभियंता, गालूडीह दोंया नहर अवर प्रमंडल सं.-02, मुसाबनी	सहायक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण कार्य विभाग को	
2.	श्री शशिभूषण कुमार 4053/नालंदा/02.01.61	सहायक अभियंता बराज अंचल, गालूडीह	सहायक अभियंता योजना आयोजन अंचल (सम्प्रति उड़नदस्ता एवं प्रशिक्षण), राँची	स्वास्थ्य कारण से
3.	श्री सुदामा प्रसाद सिंह जे 5327ए/ भोजपुर/ 10.05.58	सहायक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा	सहायक अभियंता लघु सिंचाई अनुमंडल, जयनगर कोडरमा	
4.	श्री संतोष कुमार सी 007/चतरा/16.12.78	सहायक अभियंता लघु सिंचाई अनुमंडल, जयनगर कोडरमा	सहायक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा	
5.	श्री गुमानी रविदास (अ.जा.) 4371/पाकुड़/02.11.66	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	प्राक्कलन पदाधिकारी जलपथ अंचल, चाईबासा	
6.	श्री शुका उरॉव 4625/राँची/21.02.61	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	प्राक्कलन पदाधिकारी जलपथ प्रमंडल सं.-01, सिमडेगा	
7.	श्री अशोक कुमार 3434/गया/02.01.60	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	सहायक अभियंता रूपांकण प्रमंडल सं.-01, मेदिनीनगर	
8.	श्री नसीम अहमद 3964/धनबाद/20.10.65	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	सहायक अभियंता तेनु स्पीलवे गेट निर्माण अवर प्रमंडल, तेनुघाट	
9.	श्री अशोक कुमार राय 3968/राँची/31.01.61	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	प्राक्कलन पदाधिकारी रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची	

(Signature)

1	2	3	4	5
10.	श्री शम्भूनाथ सिंह (चा.प्र.) जे 9120/सारण/05.07.68	सहायक अभियंता कोनार नहर अवर प्रमंडल सं.-01, डुमरी	सहायक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण कार्य विभाग को	
11.	श्री सुरेश यादव जे 7784/07.01.65/ बेगूसराय	सहायक अभियंता पंचायती राज विभाग	सहायक अभियंता के रूप में सेवा नगर विकास विभाग को	पंचायती राज विभाग से सेवा वापस लेते हुए

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Bhraman
9.6.14

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 5897

रॉची, दिनांक :- 9-6-14

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

Bhraman
9.6.14

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5897

रॉची, दिनांक :-

9-6-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय मंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, पटना/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर कार्यपालक अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधिसूचित सभी पदाधिकारियों का माह जून-2014 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

Bhraman
9.6.14

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)